[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the $\frac{91}{6}$, 2012

G.S.R (E).....-In the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs published in the Gazette of India vide G.S.R.(E) 4/3a... Dated 5th June, 2012 relating to Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2012, in page number 2, in point number 5. for "In the said rules, for Forms 1 to 31, the following forms shall be substituted, namely:-", read "In the said rules, Form 32 has been inserted and for Forms 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, the following forms shall be substituted, namely:-"

[F.No. 1/1/2011-CL-V]

Renuka Kumar Joint Secretary to Govt .of India

o/C

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3 उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक: २१./.५.... 2012

सा.का.नि.(अ)...... सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2012 से संबंधित दिनांक 5 जून, 2012 की सा.का.नि.(अ)..4?.३१... द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में पृष्ठ संख्या 2 में क्रमांक 5 पर "उक्त नियमों में फार्म 1 से 31 को निम्नलिखित फार्मों से प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः", को इस प्रकार पढ़ा जाए "उक्त नियमों में फार्म 32 जोड़ा गया है और फार्म 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 को निम्नलिखित फार्मों से प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः-"

र्द्र क्रिंधे, र्रुमार (रेणुका कुमार) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

010